संख्या– ——— / III(2)/17–75(सामान्य)/2000

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2017

विषय : **लोक निर्माण विभाग को रोड कटिंग के प्रकरणों में एक साथ अधिप्राप्ति के स्थान पर एक कार्य को दो से तीन भागों में विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–129/XXVII (7)32/2016 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा लागू की गयी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के नियम–3 (अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त) के उपनियम–10 में उपबन्धित है कि "निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा"।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के उक्त सन्दर्भित नियम के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्यों के त्वरित निस्तारण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त **लोक निर्माण विभाग में रोड कटिंग के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के प्रस्तर–369 का अनुपालन करते हुये, व्यवहारिकता की दशा में एक साथ अधिप्राप्ति के स्थान पर एक कार्य को दो से तीन भागों में विभाजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।**

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्णय के क्रम में विभागीय कार्य सम्पादित कराने का कष्ट करें।

4. **यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या– 217/xxvii(7)/2017 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–3834/ III(2)/17–75(सामान्य)/2000 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के नियम–3 (अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त) के उपनियम–10 में उपरोक्तानुसार संशोधन करने का कष्ट करें।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव